



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271456
CG-DL-E-31032026-271456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948

No. 216]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 34/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 235(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
- कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 (एतिश्मिन् पश्चात् प्रधान विनियम के रूप में सन्दर्भित), विनियम 2 में, उप-विनियम (2) में, खंड (अ) में, उप-खंड (v) को हटा दिया जाएगा।
- प्रमुख विनियम में, विनियम 5 में, -
(क) उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"उप-विनियमन (6) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी आयातित माल जिसे उसके आगमन के तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद मंजूरी नहीं ली जाती है, उसे उचित अधिकारी द्वारा हिरासत में लिया जाएगा और अधिकृत कूरियर और घोषित आयातक को नोटिस जारी करने के बाद, उसकी अभिरक्षा वाले व्यक्ति द्वारा बेचा या निपटाया जाएगा, और ऐसे माल के भंडारण और धारण के लिए देय शुल्क अधिकृत कूरियर द्वारा देय होंगे।

(ख) उप-विनियमन (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(6) अधिकृत कूरियर प्रेषक को आयातित माल के पुनः निर्यात या वापसी के लिए सीमा शुल्क से अनुरोध कर सकता है, जो इसके आगमन की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद अस्वीकृत रहता है:

बशर्ते कि ऐसे सामान अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित न हो और किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उनके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू न की गई हो।

4. मुख्य विनियमन में, विनियम 6 में, उप-विनियमन (3) के पहले परंतुक में, शब्द "खेप का मूल्य दस लाख रुपये तक है और" को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 455/02/2025-सीमा शुल्क V (भाग.1)]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 मई, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 385 (अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 12 सितंबर 2024, राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) जिसे सा.का.नि.सं. 569(अ), दिनांक 12 सितंबर 2024 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 34/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to further amend the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2026.

(2) This notification shall come into force on the 1st day of April, 2026.

2. In the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998 (herein after referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (2), in clause (e), sub-clause (v) shall be omitted.

3. In the principal regulation, in regulation 5,-

(a) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"Subject to the provisions of sub-regulation (6), any imported goods which are not taken clearance after the expiry of a period of thirty days of its arrival, shall be detained by proper officer and shall be sold or disposed of by the person having custody thereof, after issuing a notice to the authorised courier and to the declared importer, and the charges payable for storage and holding of such goods shall be payable by the authorised courier.";

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(6) The authorised courier may request the Customs for re-export or return of the imported goods to the sender, that remain uncleared after fifteen days from the date of its arrival:

Provided that such goods are not prohibited or restricted under the Act or any other law for the time being in force and no proceedings have been initiated in respect thereof by any enforcement agency."

4. In the principal regulation, in regulation 6, in the first proviso to sub-regulation (3), the words "value of the consignment is up to rupees ten lakh and" shall be omitted.

[F. No. 455/02/2025-Cus.V(Pt.1)]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 87/98-Customs (N.T.), dated the 9th November, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 662(E), dated the 9th November, 1998 and was last amended vide Notification No. 22/2023-Customs (N.T.), dated the 31st March 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 243 (E), dated the 31st March 2023.